रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 1, 1967/पौष 11, 1888

No. 1] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 1, 1967/PAUSA 11, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

TARIFFS

New Delhi, the 1st January 1967

No. 43(2)-Tar/66.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby cancels the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 43(2)-Tar/66, dated the 6th June, 1966 in so far as it relates S. Nos. 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 23 and the entries relating thereto.

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1967

सं० 43(2)—टैरिफ/66.—भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उन अन्य सभी शक्तियों का, जो उसे इस सम्बन्ध में समर्थ बनाती हैं, प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 43(2)—टैरिफ/66 दिनांक 6 जन, 1966 को, जहां तक कि उसका सम्बन्ध क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17, 18 तथा 23 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों से है, रद्द करती है ।

आर० एस० तलवार,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967.